मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 1048/1638/1(3)80   भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर, 1980.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्य प्रदेश

विषय:- शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को सुविधा ।

इस विभाग के दिनांक 8 जुलाई, 1957 के ज्ञापन क्रमांक 9019-5116-एक में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये है कि शासकीय सेवकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि करने के लिए अनुमति देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसी अनुमति उस कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के दस प्रतिशत व्यक्तियों तक ही सीमित हो । इस संबंध में अब शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवकों को शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि करने हेतु कक्षा में प्रवेश या परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति देते समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के शासकीय सेवकों को, यदि वे अन्य सभी शर्तें पूरी करते है, तो निर्धारित कोटे के अंदर कुछ हद तक प्राथमिकता दी जाए ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस० के० चतुर्वेदी) 1/1/81
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः 2